

# मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2001 (चैत्र 7, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा-95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (क) क्र. एफ 16-41-99/बाईस/पं-2 (1), दि. 5 मार्च, 2001,
- (ख) क्र. एफ 16-41-99/बाईस/पं-2 (3), दि. 5 मार्च, 2001,
- (ग) क्र. एफ 16-41-99/बाईस/पं-2 (4), दि. 5 मार्च, 2001,
- (घ) क्र. एफ 16-41-99/बाईस/पं-2 (5), दि. 5 मार्च, 2001,
- (ङ.) क्र. एफ 16-41-99/बाईस/पं-2 (8), दि. 5 मार्च, 2001,
- (च) क्र. एफ 16-41-99/बाईस/पं-2 (2), दि. 7 मार्च, 2001,
- (छ) क्र. एफ 16-41-99/बाईस/पं-2 (6), दि. 7 मार्च, 2001; तथा
- (ज) क्र. एफ 16-41-99/बाईस/पं-2 (7), दि. 7 मार्च, 2001,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रसाल सिंह, राजेन्द्र भारती (दत्तिया), कुंवर विजय बहानुर सिंह मुन्देला, सदस्य, पन्ना जिले के पवई क्षेत्र के विधायक को पुलिस द्वारा झूठे प्रकरणों में फंसाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री अहिरवार पर्वतलाल, मुंशीलाल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में तदर्थ शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री शिवमोहन सिंह, सभापति, याचिका समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री श्याम होलानी, सभापति, शासकीय आवासनों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री भारत सिंह, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पुष्कराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम चोरहटी को ग्राम पंचायत चोरहटा से जोड़े जाने; तथा

(2) श्री रसाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में सिन्ध नदी के इन्दुखी घाट पर पुल बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

### 6. प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश किराया विधेयक, 1999 (क्रमांक 25 सन् 1999) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

(2) चौधरी राकेश सिंह, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

### 7. शासकीय विधि विधेयक कार्य

निर्धारित  
समय  
30 मि.

(1) श्री आरिफ अकील, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 8 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(3) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(4) श्री हजारीलाल रघुवंशी, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 11 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

### 8. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे

मानव अधिकार आयोग का प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा आयोग की क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन पर चर्चा.

भोपाल :  
दिनांक : 27 मार्च, 2001

के.पी.तिवारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.